न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट—ट्रेक)सांचौर, जिला—सांचौर

पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :— 118/2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2013/00086

वादीगण

1 गमना पुत्र रूगनाथ
2 भेमा पुत्र रूगनाथ
जातियान—कलबी, निवासीगण—
गोलासन, तहसील व जिला—सांचौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1 टीकमाराम पुत्र परखा
2 मेगाराम पुत्र परखा
3 चेलाराम पुत्र परखा
4 परखा पुत्र करमसी
(तथाकथित परखा पुत्र वीरा)
5 केहरा पुत्र रूगनाथ फौत के वारिसान
ए— धनाराम पुत्र केहराराम
बी—खेमा बेवा केहराराम
सी—जसीबेन पुत्री केहराराम
डी—राधाबेन पुत्री केहराराम
ई—गीता कुमारी पुत्री केहराराम
जातियान—कलबी, निवासीगण—
गोलासन, तहसील व जिला—सांचौर
6 सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर

<u>दावा बाबत् ईश्तकरारहक खातेदारीहक एवं जारी करने स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तारीख रजु :— 12.04.2013

उपस्थिति :—

1. वादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 एकपक्षीय।

:— निर्णय :— दिनांक :— 29.10.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा गोलासन तहसील सांचौर में खेत खसरा नंबर 46 रकबा 6.54 हैक्टैयर, खसरा संख्या 118 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा संख्या 119 रकबा 1.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 47 रकबा 4.36 हैक्टेयर, खसरा संख्या 48 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 49 रकबा 1.62 हैक्टेयर, 53 रकबा 3.25 हैक्टेयर, खसरा संख्या 380 रकबा 3.64 हैक्टेयर, खसरा संख्या 53/1245 रकबा 0.01 हैक्टेयर के आये हुए है जो वादीगण की पैतृक संपति के खेत हे जो पुराने खसरा नंबर 29, 30, 31, 211, 32, 72, 26, 29 से नवसृजित किये गये है। नकल जमाबंदी 2067 से 70 खाता नंबर 78, 111, 64 एवं मिलान क्षेत्रफल वाद [illegible] प्रस्तुत है। उपरोक्त खेत वादीगण के पैतृक संपति के खेत [illegible] पीढी दर पीढ़ी चला आ रहा है। वादीगण के पिता रूगनाथ फौत होने के पश्चात प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के पिता परखा ने प्रतिवादी संख्या 5 केहरा का वादीगण के पि[illegible] के स्थान पर उत्तराधिकारी का नामान्तरकरण भरवाने का कह कर सांचौर लाया तथा उत्तराधिकारी के नामान्तरकरण करवाने की आड़ में प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के पिता परखा ने प्रतिवादी केहरा से उपरोक्त खेतों का एक फर्जी बंटवाड़ा लिखवाकर वर्तमान खसरा नंबर 47, 48, 49,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:16:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

46, 118, 119 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता परखा ने अपने नाम करवाने की नियत से फर्जी बंटवाड़ा तैयार करवा दिया जो एक फर्जी व प्रभाव शुन्य दस्तावेज है। जब प्रतिवादीगण के पिता परखा ने बंटवाड़ा अपने पक्ष में लिखवाया यह विधि विरूद्व है क्योंकि बंटवाड़ा मात्र सहखातेदारान ही कर सकते है जबकि वादग्रस्त खेतों का परखा न तो खातेदार था एवं न ही वादग्रस्त खेतों से परखा का कोई सरोकार ही था ऐसी सुरत में बंटवाड़ा विधिविरूद्व होने से प्रभाव शुन्य है। वादग्रस्त खेतों का जो तथाकथित फर्जी बंटवाड़ा क्रमांक 275/1974 करवाया उसमें हम वादीगण के चार भाई होने का जिक्र है जिस में से भला व केहरा बालिग बताये तथा हम वादीगण को नाबालिग बताये लेकिन उक्त बंटवाड़े में भला बालिग होते हुए भी बंटवाड़े पर सहमति के हस्ताक्षर नहीं करवाये तथा भला को दिमाग से दुरूस्त नहीं होने बाबत् लिखा लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया एवं न ही ऐसे दस्तावेज का हवाला दिया जिससे यह साबित होता हो कि भला दिमाग से दुरूस्त नहीं था ऐसी सुरत में भी उक्त बंटवाड़ा फर्जी साबित हो जाता है। उक्त बंटवाड़ा धारा 53 आर.टी. एक्ट. एवं आर.एल.आर.एक्ट मे दिये प्रावधानों के भी विपरित है क्योंकि धारा 53 आर.टी.एक्ट के अनुसार बंटवाड़ा करने का अधिकार केवल तहसीलदार को है तहसीलदार ही बंटवाड़ा स्वीकृत कर माफिक बंटवाड़ा के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने हेतु संबंधित हल्का पटवारी को आदेश जारी करता है लेकिन वादग्रस्त खेतों बाबत् ऐसा नहीं किया गया है ऐसी सुरत में बंटवाड़ा प्रभाव शुन्य है। उक्त बंटवाड़ा फर्जी करवाया गया है उसमें वादीगण व उसके भाईयों कें बंट में रखी भूमि व प्रतिवादी परखा के बंट में रखी गई भूमि भी बराबर–बराबर नहीं है क्योंकि प्रतिवादीगण ने अपने नाम 104 बीघा 8 बिस्वा जमीन रखी है जबकि वादीगण के पक्ष में मात्र 66 बीघा 14 बिस्वा भूमि ही रखी गई है। ऐसी सुरत में स्पष्ट साबित है कि प्रतिवादीगण के जमीन हड़पने हेतु फर्जी दस्तावेज करवाया है जो प्रभाव शून्य है। बंटवाड़ा में बंटवाड़ा करने वाले सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है जबकि उक्त बंटवाड़े में वादीगण एवं प्रतिवादी परखा के हस्ताक्षर नहीं है ऐसी सुरत में बंटवाड़ा प्रभाव शुन्य है। उक्त बंटवाड़ा में वादीगण की ओर से मीरा द्वारा बंटवाड़ा करना बताया है लेकिन वादीगण के बाल्यकाल में मीरा द्वारा बंटवाड़ा किया गया ऐसा कोई कारण भी बंटवाड़े में नहीं बताया गया है ऐसी सुरत में उक्त बंटवाड़ा प्रभाव शून्य है क्योंकि नाबालिग के हितो पर कुठाराघात हुआ है। अतः बंटवाड़ा प्रभाव शुन्य है। उपरोक्त आधारों [illegible] प्रभावशुन्य दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्रा[illegible] नहीं [illegible] ऐसी सुरत में उक्त प्रभाव शुन्य बंटवाड़े के आधार पर किया इन्द्रा[illegible] प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के नाम इन्द्राज निरस्त करवाने हेतु यह वाद श्रीमान को पेश है। उपरोक्त बंटवाड़ा प्रभावशुन्य तो था ही लेकिन उक्त बंटवाड़े का हवाला देकर प्रतिवादीगण ने अपने बंट में बंटवाड़े माफिक जो खेत थे उससे भी ज्यादा का नामान्तरकरण संख्या 241 भरवाया जिसमें खसरा नंबर 29 प्रतिवादीगण के बंट में बंटवाड़े माफिक नहीं होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण के पक्ष में नामान्तरकरण खोल दिया, इस प्रकार उपरोक्त सारी कार्यवाही फर्जी तौर से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:16:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक [illegible]
(फास्टट्रेक) सांचौर

गई जो इन्द्राजात निरस्त योग्य होने से यह वाद श्रीमान की सेवा में पेश है। उक्त बंटवाड़ा प्रभाव शुन्य था इसी कारण प्रभाव शुन्य बंटवाडा क्रमांक 275/74 का हवाला देकर भरा गया नामान्तरकरण संख्या 241 भी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णित (स्वीकृत) नहीं किया गया इसके उपरान्त भी इसी नामान्तरकरण संख्या 241 के आधार पर प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया गया जो इन्द्राज विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है प्रतिवादीगण के नाम जो इन्द्राज हुए है व प्रभाव शुन्य दस्तावेज के आधार पर होने से एवं जिस नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया वह नामान्तरकरण संख्या 241 भी स्वीकृतसुदा नहीं होने से प्रतिवादीगण के नाम किया गया इन्द्राजात निरस्त योग्य है। उक्त बंटवाड़ा में प्रतिवादी परखा ने अपने आप को वीरा का पुत्र बताया गया है हकीकत में परखा का पुत्र न होकर करमसी का पुत्र है केवल जमीन हड़पने की नियत से परखा ने अपने पिता का नाम वीरा लिखाया है जिससे कि परखा वीरा का पुत्र मानकर बंटवाड़ा कर ले वास्तव में परखा का वीरा की संपति में कोई कानुनी अधिकार नहीं है। ऐसी सुरत में उपरोक्त इन्द्राजात निरस्त योग्य होने से यह वाद श्रीमान की सेवा में पेश है। चुंकि प्रतिवादीगण ने उपरोक्त सारी कार्यवाही विधिविरूद्व तौर से कर राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है ऐसी सुरत में प्रथम दृष्टि में केश वादीगण के पक्ष में है एवं सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है लेकिन प्रतिवादीगण विधिविरूद्व इन्द्राज के आधार पर वादीगण को बेदखल करने की धमकियां दे रहे है और यदि वादीगण को बेदखल कर दिये तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका वादीगण उचित मुआवजा नहीं पा सकेगे। ऐसी सुरत में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने न्यायहित में आवश्यक है।

अन्त में आराजी खसरा संख्या 46 रकबा 6.54 हैक्टेयर, खसरा संख्या 118 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा संख्या 119 रकबा 1.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 47 रकबा 4.36 हैक्टेयर, खसरा संख्या 48 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 49 रकबा 1.62 हैक्टेयर मौजा गोलासन बाबत् प्रतिवादीगण द्वारा किया गया बंटवाडा क्रमांक 275/1974 प्रभाव शुन्य होने से प्रभाव शून्य बंटवाड़ा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम किया गया इन्द्राज निरस्त कर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार उद्घोषित किये जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये, प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध [illegible] कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 (ए,बी,सी,डी,ई) 6 को जवाब हेतु पर्याप्त [illegible] दिये जाने पर भी जवाब प्रस्तुत न किये जाने पर जवाब दावा बन्द किया गया।

वादीगण की ओर से अपने वाद को सिद्व करने के लिये गवाह भेमाराम पीडब्ल्यू1, गवाह गमनाराम पीडब्ल्यू2, गवाह जेठाराम पीडब्ल्यू 3, गवाह प्रभताराम, पीडब्ल्यू 4 को परीक्षित करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत 11 न्यायालय में प्रदर्शित करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:16:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन व अवलोकन किया गया, वादीगण की ओर से प्रस्तुत गवाह वादी स्वयं भेमाराम ने अपना शपथ–पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया कि मौजा गौलासन के खेत खसरा संख्या 46 रकबा 6.54 हैक्टेयर, खसरा संख्या 118 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा संख्या 119 रकबा 1.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 47 रकबा 4.36 हैक्टेयर, खसरा संख्या 48 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 49 रकबा 1.62 हैक्टेयर, खसरा संख्या 53 रकबा 3.25 हैक्टेयर, खसरा संख्या 380 रकबा 3.64 हैक्टेयर, खसरा संख्या 53/1245 रकबा 0.01 हैक्टेयर के आये हुए है जो वादीगण की पैतृक संपति के खेत है जो पुराने खसरा संख्या 29, 30, 31, 211, 32, 72, 29 से नवसृजित हुए है। जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। वादीगण के पिता रूगनाथ के फौत होने पर प्रतिवादीगण टीकमा, मेगा, चेला के पिता परखा ने प्रतिवादी संख्या 5 केहरा को वादीगण के पिता के स्थान पर उतराधिकारी का नामान्तरकरण भरवाने का कहकर सांचौर लाया तथा उतराधिकारी के नामान्तरकरण करवाने की आड़ में प्रतिवादीगण टीकमाराम, मेगाराम व चेलाराम के पिता परखा ने प्रतिवादी केहरा से उपरोक्त खेतों का एक फर्जी बंटवाड़ा लिखवाकर टीकमाराम, मेगाराम, चेलाराम के पिता परखा ने अपने नाम करवाने की नियत से फर्जी बंटवाड़ा तैयार कर लिया जो एक फर्जी व प्रभाव शून्य दस्तावेज है, बंटवाड़ा मात्र सहखातेदारान् ही कर सकते है, परखा न तो खातेदार था व न ही वादग्रस्त खेतों से परखा का कोई सरोकार ही था, फिर भी परखा ने अपने पक्ष में फर्जी बंटवाड़ा क्रमांक 275/1974 करवाया उसमें हम वादीगण के चार भाई होने का जिक्र है जिस में से भला व केहरा बालिग बताये तथा हम वादीगण को नाबालिग बताये लेकिन उक्त बंटवाड़े में भला बालिग होते हुए भी बंटवाड़े पर सहमति के हस्ताक्षर नहीं करवाये तथा भला को दिमाग से दुरूस्त नहीं होने बाबत् लिखा लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया एवं न ही ऐसे दस्तावेज का हवाला दिया इससे यह साबित होता है कि भला दिमाग से दुरूस्त ही था। इस प्रकार बंटवाड़ा गलत व फर्जी किया है, क्योंकि प्रतिवादीगण ने इस फर्जी बंटवाड़ा के जरिये अपने बंट में 104 बीघा 8 बिस्वा व हम वादीगण के बंट में मात्र 66 बीघा जमीन रखी तथा उक्त बंटवाड़े का हवाला देकर प्रतिवादीगण ने अपने बंट में बंटवाड़े माफिक जो खेत रखे थे उससे भी ज्यादा का नामान्तरकरण संख्या 241 भरवाया जिससे खसरा संख्या 29 [illegible] के पक्ष में प्रतिवादीगण के बंट में बंटवाड़े माफिक नहीं होने के उपरान्त भी [illegible] मौके पर नामान्तरकरण खोल दिया, इस प्रकार उपरोक्त सभी कार्यवाही फर्जी तौर पर [illegible] उपरोक्त खेतों पर कब्जा काश्त वादीगण का है। खसरा संख्या 118 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा संख्या 46 रकबा 6.54 हैक्टेयर, खसरा संख्या 119 रकबा 1.05 है[illegible]र, खसरा संख्या 47 रकबा 4.36 हैक्टेयर, खसरा संख्या 48 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 49 रकबा 1.62 हैक्टेयर जुमले रकबा 14.10 हैक्टेयर की खातेदारी हमारे नाम की जावें।

वादीगण के गवाह पीडब्ल्यू–2, पीडब्ल्यू–3, पीडब्ल्यू–4 ने भी वादीगण के कथनों का समर्थन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:16:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

वादीगण के वकील की बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। वादीगण के वकील ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज जमाबंदी प्रदर्श 1 व 2 में वादग्रस्त खेतों का इन्द्राज रूगनाथ खोले वीरा दर्ज है जिसमें परखा का नाम इन्द्राज नहीं है। यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि बंटवाड़ा संयुक्त खातेदार द्वारा किया जाता है लेकिन बंटवाड़ा क्रमांक/275/1974 परखा द्वारा करवाया गया है लेकिन वादग्रस्त खेतों का परखा खातेदार नहीं था इसके अलावा बंटवाड़े में भला को दिमाग से दुरूस्त न होना लिखा है लेकिन इस बाबत् दस्तावेज पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया हो इसका कोई उल्लेख बंटवाड़े में नहीं है। बंटवाड़ा वादीगण गमना व भेमाराम की ओर से किया जाना बताया लेकिन नाबालिग की ओर से बंटवाड़े किये जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी यह भी दस्तावेज में नहीं लिखा है। इसके अलावा बंटवाड़ा विहित प्रक्रिया अपना कर भी किया जाना प्रतीत नहीं होता है। वादग्रस्त आराजी वादीगण की पैतृक संपति है जिसकी पुष्टि जमाबंदी प्रदर्श 1 व 2 से होती है जिसमें वादीगण के पिता रूगनाथ खोले वीरा दर्ज है जबकि परखा वादग्रस्त आराजी का तत्कालीन समय से खातेदार या संयुक्त खातेदार नहीं था जो जमाबंदी प्रदर्श 1 व 2 से स्पष्ट है। वादीगण के कथनों का प्रतिवादीगण द्वारा कोई प्रतिकार भी नहीं किया गया है। अतः वादीगण का वाद प्रस्तुत दस्तावेजी व जुबानी साक्ष्य से साबित है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन में निष्कर्षतः वादीगण भेमाराम, गमनाराम पिसरान रूगनाथ द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है तथा खसरा संख्या 118 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा संख्या 46 रकबा 6.54 हैक्टेयर, खसरा संख्या 119 रकबा 1.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 47 रकबा 4.36 हैक्टेयर, खसरा संख्या 48 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 49 रकबा 1.62 हैक्टेयर जुमले रकबा 14.10 हैक्टेयर के खातेदार वादीगण गमनाराम, भेमाराम पिसरान रूगनाथ व प्रतिवादी केहरा के वारीसान धनाराम पुत्र केहराराम खेमी बेवा केहराराम, जसीबेन राधाबेन गीताकुमारी पुत्रियां केहराराम को घोषित किये जाते है तथा तहसीलदार सांचौर को उनके नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे। पक्षकारान् खर्चा अपना अप[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:16:07 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रेक सांचौर, जिला–सांचौर

निर्णय आज दिनांक **29.10.2024** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रेक सांचौर, जिला–सांचौर